

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

RCMS No.—2019/00109

अपील संख्या: 40/2019

मनोहर लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामचरण लाल गुप्ता जाति महाजन निवासी
जे-71, अशोक चौक आदर्श नगर जयपुर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध निर्णय तहसीलदार
जमवारामगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 02.07.2013

उपस्थित:-

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार रेस्पाडेन्ट की ओर से।



निर्णय

दिनांक: 24.09.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 02.07.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 99 वाके ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ तस्दीक किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.08.2019 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2013 नामान्तरकरण संख्या 99 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 185/4 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मोहन लाल पुत्र भगवानसहाय रैगर ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि का कृषि से अकृषि संपरिवर्तन कराया गया। तहसीलदार जमवारामगढ के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 04.04.2013 के अनुसार उक्त भूमि 0.25 हैक्टेयर में से 0.0150 हैक्टेयर भूमि आईआरसी के तहत खातेदार द्वारा निःशुल्क समर्पण की गयी एवं शेष भूमि 0.2350 हैक्टेयर का संपरिवर्तन कृषि से आवासीय किया गया। उक्त संपरिवर्तनशुदा भूमि 0.2350 हैक्टेयर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2014 के द्वारा खातेदार मोहनलाल द्वारा अपीलांट को बेचान की कर दी गयी। जिससे उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

भूमि में खातेदार के सम्पूर्ण हकाधिकार अपीलांट में निहित हो चुके हैं तथा विधिक खातेदार अपीलांट है। उक्त भूमि खसरा नंबर 185/4 के संपरिवर्तन आदेशानुसार नामान्तरण संख्या 99 भरा गया एवं उक्त नामान्तरण रेस्पाडेन्ट द्वारा दिनांक 02.07.2013 को स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण के कॉलम संख्या 9 में खातेदार मोहनलाल का नाम दर्ज किया गया व कॉलम संख्या 12 में संपरिवर्तन आदेश अनुसार आवासीय अंकन विधिक रूप से किया गया। किन्तु स्वीकृति पश्चात कॉलम संख्या 9 में खातेदार के नाम को गोलाकार मार्क कर उक्त कॉलम में सिवायचक बिला लगानी का अंकन दर्ज कर दिया गया जिससे राजस्व जमाबन्दी में खातेदार के खातेदारी व मालिकाना स्वामित्व समाप्त कर सिवाय चक बिला लगानी दर्ज की गयी जो विधि विरुद्ध है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरण अपीलांट व अपीलांट को विक्रेता खातेदार के अधिकारों के विरुद्ध है। अपीलांट को हल्का पटवारी से संपरिवर्तन का नामान्तरण दर्ज करते वक्त ही उक्त भूमि को खातेदार से सिवाय चक दर्ज हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट ने अविलम्ब अपील माननीय न्यायालय में पेश की है। रेस्पाडेन्ट के पास अपीलाधीन नामान्तरण में सिवाय चक दर्ज करने के कोई भी आदेश तहसीलदार के पास नहीं थे मात्र भू-रूपान्तरण के अनुरूप किस्म बजंड/चाही/बरानी की जगह आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर पूर्व में दर्ज खातेदार के नाम ही नामान्तरण स्वीकृत किया जाना था जो रेस्पाडेन्ट विधि विरुद्ध खातेदार की जगह सिवाय चक व राज्य सरकार के हित में नामान्तरण स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 99 पर पारित निर्णय 02.07.2013 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई कर खातेदार के हक में संपरिवर्तन आदेश अनुसार नामान्तरण स्वीकृत करते हुए भूमि की किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरण संपरिवर्तन आदेश के आधार पर भरा गया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा संपरिवर्तन आदेश अनुसार कॉलम संख्या 9 में खातेदार की जगह सिवाय चक बिला लगानी भरा जाना न्यायोचित नहीं है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरण संख्या 99 ग्राम सामरेड खुर्द तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरण तहसीलदार जमवारामगढ के संपरिवर्तन

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर



आदेश 04.04.2013 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन भूमि कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर में 0.2350 हैक्टेयर की किस्म संपरिवर्तन आदेश के अनुसार आवासीय संपरिवर्तित की गई एवं शेष 0.150 हैक्टेयर भूमि आईआरसी के तहत निःशुल्क समर्पण की गई। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में समर्पण की गयी भूमि 0.150 हैक्टेयर सिवाय चक बिला लगानी दर्ज की गयी एवं संपरिवर्तित भूमि 0.2350 हैक्टेयर भूमि की किस्म कृषि से आवासीय परिवर्तित की गयी जिसका अंकन अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 12 में किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा खातेदार के नाम की जगह सिवाय चक बिला लगानी अंकित कर दिया गया जो संपरिवर्तन आदेश दिनांक 04.04.2013 अनुसार गलत है। कॉलम संख्या 9 में खातेदार का अंकन होना विधिसम्मत है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय कॉलम संख्या 9 में खातेदार का नाम अंकित न कर सिवाय चक बिला लगानी दर्ज कर त्रुटि कारित की है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 99 वाके ग्राम सामरेड खुर्द तहसील जमवारामगढ पर पारित निर्णय दिनांक 02.07.2013 को निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट की सुनवाई की जाकर, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में पारित संपरिवर्तन आदेश अनुसार पुनः परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विधिक प्रक्रियानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(इकब्राल खान)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर